[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
संख्या 04/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 जनवरी,2024

का.आ...(अ) – केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, माल जिसके ब्यौरे इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, के अधीन आता है, के विनिर्माण में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है अर्थात्: -

1. पैकिंग मशीनों के ब्यौरे.– (1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में लगे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिसूचना के प्रभावी होने के तीस दिवस के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण का आशय रखता है, और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के पंद्रह दिवस के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

(3) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान पर संस्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरण और पैकिंग मशीन के ब्यौरे, ऐसे संस्थापन के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 6 के भाग (ख) में प्रस्तुत किए जाऐंगे ।

(4) यदि मशीनों की घोषित क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना है, तो उसे उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 6क में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1** में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जनित की जाएगी, जिसके ब्यौरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए हैं ।

(6) यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या अपनी मशीनों की उत्पादन क्षमता किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को प्रस्तुत या घोषित की है, तो ऐसी घोषणा दाखिल करने या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिवस के भीतर उसे उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 7 में प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने इस अधिसूचना के जारी होने से पहले किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को अपनी विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों की उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित की है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा यथास्थिति, विनिर्माण इकाई या मशीन के संबंध में ऐसा नवीनतम प्रमाण पत्र, उक्त अधिसूचना के जारी होने के तीस दिवस के भीतर, सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 7 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से निपटान की गई किसी भी विद्यमान भरण और पैकिंग मशीन के ब्यौरे, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे निपटान के सामान्य चौबीस घंटे के भीतर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाऐंगे ।

2. विशेष मासिक विवरण.-- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक मास के लिए सामान्य पोर्टल पर, ऐसे मास के आगामी मास के दसवें दिन या उससे पहले **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-II** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विशेष विवरण प्रस्तुत करेगा ।

3. चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र.-- (1) करदाता को इस अधिसूचना के पैरा 1 के अनुसार, **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 6 में, उसके द्वारा घोषित मशीनों के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-III** का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

(2) यदि किसी मशीन के ब्यौरे तत्पश्चात् संशोधित किए जाते हैं, तो ऐसी मशीन के संबंध में नया प्रमाणपत्र अपलोड किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान-मसाला
2.	2401	ब्रांड नाम वाला-अविनिर्मित तम्बाकू (चूने की नली के बिना)
3.	2401	ब्रांड नाम वाला-अविनिर्मित तम्बाकू (चूने की नली के साथ)
4.	2401 30 00	ब्रांड नाम वाला, अवशिष्ट तम्बाकू
5.	2403 11 10	ब्रांड नाम वाला 'हुक्का' या 'गुडाकू'
6.	2403 11 10	'हुक्का' या 'हुक्का' तम्बाकू अथवा 'गुडाकू' के रूप में ज्ञात, धूम्रपान के लिए उपयोग किया जाने वाला तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य जल पाइप धूम्रपान तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण
9.	2403 19 90	ब्रांड नाम वाला अन्य धूम्रपान तम्बाकू
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं
11.	2403 91 00	ब्रांड नाम वाला "समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू
12.	2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के साथ)
14.	2403 99 10	छनी हुई खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाले तम्बाकू से युक्त निर्मिति

16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तम्बाकू
17.	2403 99 40	नसवार
18.	2403 99 50	नसवार युक्त निर्मिति
19.	2403 99 60	ब्रांड नाम वाले तम्बाकू के निष्कर्ष और सत्व
20.	2403 99 60	तम्बाकू के निष्कर्ष और सत्व जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	तम्बाकू कर्तन
22.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा'
23.	2403 99 90	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाले से भिन्न ब्रांड नाम वाले सभी माल
24.	24039990	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाले से भिन्न बिना ब्रांड नाम वाले सभी माल।

स्पष्टीकरण.- (1) इस अनुसूची में,- "टैरिफ मद", "शीर्षक " "उपशीर्षक " और "अध्याय" से क्रमश:, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, कोई टैरिफ मद , शीर्षक , उपशीर्षक और अध्याय अभिप्रेत है ।

(2) उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन नियम, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची की पहली धारा और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी है, जहां तक को सके, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे ।

(3) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ब्रांड नाम" पद से कोई ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिन्ह जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लेखन जो ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपदर्शित करने के प्रयोजनों से या ऐसे विनिर्दिष्ट माल और किसी व्यक्ति के मध्य व्यापार के अनुक्रम में, उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत के साथ या बिना, ऐसे नाम या चिन्ह का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के मध्य संबंध को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है ।

प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1

पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की पैकिंग करने वाली मशीनों का रजिस्ट्रीकरण और निपटान

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिकि नाम	
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4. एआरएन	
5. फाइल करने की तारीख	

6. मशीनों के ब्यौरे

क्रम. सं.	मेक, यदि	माडल सं.,	विनिर्माता का	मशीन सं.	क्रय की तारीख	स्थापना के स्थान	ट्रेकों की सं.	पैकेजों का भार	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग	पैक किए जाने वाले	मशीन का प्रति	मशीन की रजिस्ट्रीक	कार्यशील प्रास्थि

	उपलब्ध हो	यदि कोई हो	नाम			का पता		जो मशीनों पर पैक किया जा सकता हो (ग्रा. में	क्षमता (पैकेजों की सं. जो किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु पैक की जा सकती हो)	किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	घंटा विद्युत उपभोग क्षमता (केउब्ल्यू एच)	रण सं. (सिस्टम द्वारा स्वसृजित की जाए)	ति (हां, नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (8X10)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान भाग (क)													
नए जोड़े गए भाग (ख)													

6क. मशीनों की संशोधनों के ब्यौरे

क. सं.	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं.	मेक	मॉडल सं.	विनिर्माता का नाम	मशीन सं.	क्रय की तारीख	स्थापना के स्थान का पता	ट्रेकों की सं.	पेकेजों का भार जो मशीनों पर पैक किया जा सकता है (ग्रा. में)	पैक किए जाने वाले किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन का प्रति घंटा विद्युत उपभोग क्षमता(केउब्ल्यू एच)	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं. (सिस्टम द्वारा स्वसृजित की जाए)	कार्यशील प्रास्थिति (हां, नहीं)	सूचीबद्ध किसी मापदंड में परिवर्तन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (9X11)	(13)	(14)	(15)

7. अन्य विभागों को प्रस्तुत की गई मशीनों की सूचना के ब्यौरे ।

क्र.सं.	सूचना की तारीख	सरकारी विभाग/किसी अन्य एजेंसी या संगठन का नाम	घोषणा के ब्यौरे (पीडीएफ के रूप में अपलोड किए जाएं)
(1)	(2)	(3)	(4)

8. पैकिंग मशीनों का निपटान ।

क्र. सं.	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं.	मेक	माडल सं.	विनिर्माता का नाम	मशीन सं.	क्रय की तारीख	स्थापना के स्थान का पता	ट्रेकों की सं.	पैकेजों का भार जो मशीनों पर पैक किया जा सकता हो (ग्रा. में)	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता (पैकेजों की सं. जो किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु पैक की जा सकती हो)	पैक किए जाने वाले किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	निपटान की तारीख	निपटान का कारण (प्रदाय/निराकृत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

9. उत्पाद ब्यौरे ।

क्र.सं.	ब्रांड नाम	पैकिंग प्रकार	प्रत्येक पेकेज में ग्रा. में मात्रा	एचएसएन	उत्पाद का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

10. अपलोड किए गए दस्तावेजों के ब्यौरे ।

1. चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण प्रत्र
2. अन्य विभागों को दी गई सूचना

3. करदाता द्वारा उल्लिखित किया जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/प्रास्थिति

स्थान:
तारीख:

जीएसटी एसआरएम-1 के अनुदेश

1. **प्रयोग की गई निबंधन:**

(i) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्यांक
(ii) एचएसएन: हारमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर
(iii) एमआरपी: अधिकतम खुदरा मूल्य
(iv) केडब्ल्यूएच: प्रतिघंटा किलो वॉट
(v) पैकिंग टाइप: पाउच, जिप्पर आदि ।

2. सारणी 6: मौजूदा मशीनों का विवरण भाग-क में प्रदान किया जाना चाहिए और उसके बाद जोड़ी गई नई मशीनों का विवरण भाग-ख में प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ वार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

स्तंभ सं.	विवरण
(2).	मशीन का निर्माण, यदि उपलब्ध हो, यह प्रदान किया जाना चाहिए कि यह अर्ध-स्वचालित है या स्वचालित।
(3).	मशीन की मॉडल संख्या का उल्लेख करें, यदि उपलब्ध हो।
(4).	प्रदान की जाने वाली मशीन के निर्माता का नाम।
(5).	मशीन नंबर प्रदान किया जाना है।
(6).	आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए चालान या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज पर उल्लिखित क्रय की तारीख प्रदान की जानी है।
(7).	उस स्थान का पता जहां मशीन स्थापित की गई है, उसे प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में विनिर्माता द्वारा प्रदान किए गए कारबार के स्थानों के विवरण के आधार पर उसके लिए प्रदान किए गए ड्रॉप डाउन से चुना जाना है।
(8).	प्रदान की जाने वाली मशीन से जुड़े ट्रैक की संख्या।
(9).	पैकेज का वजन जिसे मशीन द्वारा पैक किया जा सकता है (ग्राम में) यहां घोषित किया जाना है। रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक मशीन के लिए उसी की कई प्रविष्टियाँ दर्ज कर सकता है।

(10).	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता उन पैकेजों की संख्या के संदर्भ में प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें स्तंभ 9 में घोषित पैकेज के विशेष वजन के लिए प्रति घंटे उक्त ट्रैक पर मशीन द्वारा पैक किया जा सकता है।
(11).	पैकेज के विनिर्दिष्ट वजन के लिए मशीन की कुल पैकिंग क्षमता जिसे पैक किया जा सकता है, की गणना पध्दति द्वारा स्तंभ 8,9 और 10 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर की जाएगी।
(12).	केडब्ल्यूएच में प्रदान की जाने वाली मशीन की बिजली खपत क्षमता।
(13).	विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या प्ररूप फाइल करने के पश्चात् मशीन को पध्दति द्वारा जनरेट किया जाएगा। विशिष्ट संख्या की संरचना जीएसटीआईएन के पश्चात् तीन अंक होंगे।
(14).	क्या मशीन काम कर रही है या स्टैंडबाय है। तदनुसार, ड्रॉप डाउन मेनू से हां या नहीं का चयन किया जाएगा।

3. सारणी 6क: सारणी 6 में पहले से प्रदान की गई या उसके पश्चात् संशोधित मशीन के विवरण में संशोधन प्रदान किया जाना है। सारणी 6 के स्तंभ 12 में पध्दति द्वारा सौंपी गई मशीन की रजिस्ट्रीकरण संख्या दर्ज करने के पश्चात्, मशीन का अन्य विवरण ऑटो–पॉपुलेट होगा। जहां भी आवश्यक हो, इसे संपादित किया जा सकता है। चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र उन मशीनों के लिए भी अपलोड किया जाएगा जिनके विवरण में संशोधन किया गया है यदि पहले अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में दिए गए विवरण में कोई बदलाव होता है और अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण सारणी 10 में दिया जाना चाहिए। मशीन के किसी भी विवरण में ऐसा कोई भी परिवर्तन, जिसमें उसकी कार्य स्थिति शामिल है, जिसे संशोधित करने की आवश्यकता है, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए उक्त परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर सूचित किया जाना है।

4. सारणी 7: अन्य विभाग को प्रस्तुत मशीनों की सूचना का विवरण प्रदान किया जाना है। प्रविष्टियां करने के बाद दस्तावेजों को पीडीएफ रूपविधान में अपलोड किया जाना चाहिए और अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण सारणी 10 में दिया जाना चाहिए।

5. सारणी 8: निपटाई गई (आपूर्ति की गई/अनुपयोगी) मशीनों का विवरण प्रदान किया जाएगा। पध्दति द्वारा मशीन को सौंपे गए रजिस्ट्रीकरण नंबर को दर्ज करने के पश्चात्, अन्य विवरण ऑटो–पॉपुलेट होंगे। निपटान की तारीख और इसके लिए कारण प्रदान किया जाना है।

6. सारणी 9: इस सारणी में प्रदान किए जाने वाले ब्रांडों का विवरण, पैकिंग प्रकार, एचएसएन और विनिर्मित उत्पादों का विवरण। यदि इस तालिका में पहले से दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो विवरण को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

7. सारणी 10: अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची:

- चार्टर्ड इंजीनियर का एकल प्रमाण पत्र मशीनों के विवरण दर्ज करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी एसआरएम–III के अनुसार प्रारूप में सभी मशीनों के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना है।
- चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र, प्ररूप जीएसटी एसआरएम– III के अनुसार रूपविधान में, उन मशीनों के लिए भी अपलोड किया जाएगा जिनके विवरण में संशोधन किया गया है यदि पहले अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में दिए गए विवरण में कोई बदलाव होता है।
- पीडीएफ रूपविधान में दस्तावेज़ अन्य विभाग को दी गई मशीनों की सूचना का विवरण प्रदान करना है।

प्ररूप जीएसटी एसआरएम-II

उपयोग किए गए निवेश का मासिक विवरण और अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माता द्वारा उत्पादित अंतिम माल

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो	
4. वित्तीय वर्ष	
5. कर अवधि	
6.एआरएन	
7. फाइल करने की तारीख	

8. निवेश का विवरण

क्रम संख्या	एच एस एन	विवरण	इकाई (यूक्यूसी)	प्रारंभिक अतिशेष	उपाप्त की गई मात्रा	उपाप्त की गई मात्रा का मूल्य (रु.)	खपत की गई मात्रा।	अंतिम अतिशेष	उत्पन्न अपशिष्ट ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

9. उत्पादन का विवरण

ब्रांड नाम	मशीन रजिस्ट्रीकरण संख्या	पैकिंग का प्रकार	प्रत्येक पैकेज में ग्राम में मात्रा।	एचएसएन	उत्पाद का विवरण।	पैक किए गए पैकेजों की संख्या	प्रति पैकेज पैक किया गया एमआरपी। (रु.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पैकेजों का कुल मूल्य (एमआरपी में)। (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) (7x8)
कुल								

10. बिजली खपत

क्रम संख्या	मीटर / डीजी सेट	महीने के पहले दिन प्रारंभिक मीटर रीडिंग।	महीने के अंतिम दिन को अंतिम मीटर रीडिंग।	खपत (कि.वा.घं.)।

	सं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) विद्युत मीटर रीडिंग				
(ख) डीजी सेट मीटर रीडिंग				
(ग) सौर ऊर्जा जिसमें बैटरी है				
(घ) अन्य				

11. ग्रिड एकीकृत सौर ऊर्जा का विवरण

क्रम संख्या.	महीने के पहले दिन प्रारंभिक मीटर रीडिंग।	महीने के अंतिम दिन को अंतिम मीटर रीडिंग।	उत्पादन/निर्यात/आयात/खपत (कि.वा.घं.)।
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) सौर मीटर रीडिंग (उत्पादन)			
(ख) बिजली मीटर रीडिंग (विद्युत का आयात)			
(ग) बिजली मीटर रीडिंग (विद्युत का निर्यात)			
(घ) शुद्ध खपत [क+ख-ग]			

12. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और वहां से कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/प्रास्थिति

स्थान
तारीख

जीएसटी एसआरएम-II प्ररूप का निर्देश

1. प्रयुक्त पद :

(i) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ii) एचएसएन: नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

(iii) एमआरपी: अधिकतम खुदरा मूल्य

(iv) केडब्ल्यूएच: किलो वाट घंटा

(v) डीजी सेट: विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल जनरेटर सेट

(vi) पैकिंग का प्रकार: पाउच, ज़िपर आदि।

2. सारणी 8: अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट का ब्यौरा प्रदान करना होगा। प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ वार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

स्तंभ सं.	वर्णन
(1).	
(2).	विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के न्यूनतम 4 अंकों के स्तर पर एचएसएन रिपोर्ट किया जाना है।
(3).	एचएसएन के अनुसार माल का विवरण प्रदान किया जाना है।
(4).	ड्रॉप डाउन से चुने जाने वाले माल के मापन की इकाई।
(5).	मास के आरंभ में उपलब्ध मात्रा को पहली बार रिपोर्ट किया जाना है। अगले मास से, जानकारी पूर्ववर्ती मास के समापन शेष से ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगी।
(6).	माह के दौरान उपाप्त की गई मात्रा रिपोर्ट की जानी है।
(7).	उपाप्त की गई मात्रा की मात्रा रिपोर्ट की जानी है ।
(8).	खपत की गई मात्रा की सूचना देनी होगी ।
(9).	समापन शेष राशि स्तंभ 5 और 6 में रिपोर्ट की गई मात्रा का योग होना चाहिए जो स्तंभ 8 में रिपोर्ट की गई मात्रा से घटाई जाती है (5+6-8)
(10).	उत्पन्न अपशिष्ट, यदि कोई हो, की सूचना दी जाए।

3. स्तंभ 9: विनिर्मित उत्पादों का ब्यौरा ब्रांड वार, मशीन वार और पैकेज वार रिपोर्ट किया किया जाना है । प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ वार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

स्तंभ सं.	वर्णन
1.	प्ररूप जीएसटी एसआरएम -1 की सारणी 9 में रिपोर्ट किया गया ब्रांड, कर अवधि के दौरान उत्पादन की रिपोर्टिंग के लिए ड्रॉप डाउन से चुना जाना है।
2.	प्रणाली द्वारा समनुदेशित की गई मशीन की रजिस्ट्री संख्या रिपोर्ट की जाएगी।
3.	कर अवधि के दौरान विनिर्मित पैकिंग प्रकार अर्थात पाउच, जिपर आदि रिपोर्ट किया जाना है।
4.	पैकिंग का विवरण (प्रत्येक पैक में ग्राम में मात्रा) रिपोर्ट किया जाना है।
5.	कर अवधि के दौरान विनिर्मित वस्तुओं की एचएसएन, 8 अंकों के स्तर पर, रिपोर्ट की जानी है।

6.	रिपोर्ट की जाने वाली कर अवधि के दौरान विनिर्मित उत्पाद का विवरण।
7.	कर अवधि के दौरान पैक किए गए पैकेजों की संख्या रिपोर्ट की जानी है।
8.	अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) रुपये प्रति पैकेज पैक की रिपोर्ट की जानी है।
9.	कर अवधि के दौरान पैक किए गए पैकेजों के एमआरपी में कुल मूल्य की गणना प्रणाली द्वारा स्तंभ 6 और 7 में दी गई जानकारी के आधार पर की जाएगी।

4. सारणी 10: मास के दौरान विद्युत खपत को रिपोर्ट किया जाना है। मास के आरंभ में विद्युत मीटर में आरंभिक रीडिंग प्रथम मास के लिए रिपोर्ट की जानी है । अगले मास से, पूर्ववर्ती मास के अंत में रिपोर्ट की गई अंतिम रीडिंग मास की प्रारंभिक रीडिंग बन जाएगी। उपयोग किए गए डीजी सेट की रीडिंग, यदि कोई हो, पृथक् रूप से रिपोर्ट की जानी चाहिए । एक से अधिक विद्युत मीटर या डीजी सेट की रीडिंग को रिपोर्ट करने के लिए, पृथक् पंक्तियां उपयोग की जाएं । इसके अलावा, मशीनों के लिए पृथक् मीटर उपलब्ध न होने की स्थिति में विनिर्माण इकाई के मुख्य मीटर की विद्युत मीटर रीडिंग भी दी जानी है। भाग ग में उल्लिखित सौर ऊर्जा केवल बैटरी ग्रिड से एकीकृत नहीं की गई बैटरियों के सृजित ऊर्जा माध्यम के संबंध में है ।

5. सारणी 11 : यहां, ग्रिड के साथ एकीकृत सौर ऊर्जा से उपभोग की गई विद्युत के ब्यौरे रिपोर्ट किए जाने हैं ।

प्ररूप जीएसटी एसआरएम –///
चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र

1. जीएसटीआईएन –
2. उन मशीनों के ब्यौरे, जिनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है-

क्रम सं॰	मेक, यदि उपलब्ध हो।	मॉडल संख्या, यदि उपलब्ध हो	विनिर्माता का नाम।	मशीन संख्या।	प्रणाली द्वारा समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण संख्या (उन मामलों में जहां सारणी 6क में मशीनों की विनिर्दिष्टि में संशोधन किया जाना है)।	क्रय करने की तारीख, यदि उपलब्ध हो।	ट्रैकों की संख्या।	पैकेजों का भार जिसे मशीन पर पैक किया जा सकता है (ग्राम में)।	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता (पैकेज के विशिष्ट वजन के लिए पैक किए गए पैकेजों की संख्या)।	पैक किए जाने वाले पैकेज के विनिर्दिष्ट वजन के लिए मशीन की कुल पैकिंग क्षमता।	मशीन की प्रति घंटा विद्युत खपत क्षमता (कि॰वा॰घ॰)।	टिप्पणी, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (8x10)	(12)	(13)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मशीनों की संख्या का परीक्षण कर लिया है और उपरोक्त ब्यौरे

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और उनमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर
नाम -
रजिस्ट्रीकरण संख्या--
पता ---
मोबाइल सं0 -

तारीख :
स्थान :

[फा.सं. सीबीआईसी-20001/7/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक